न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 166/2019

अनवान :

1. सुभाष पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सावित्री पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. हवासिंह पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मंजू पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र कुमार गोयल : वादीगण

निर्णय दिनांक : 24-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 352/85 के खसरा नं0 133/1 की 1.682 है0, खसरा नं0 134/1 की 0.835 है0, खसरा नं. 551/2 की 3.478 है0 खसरा नं0 591/1 की 2.517 है0 कुल 8.512 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह का 7/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। पक्षकारान दावा एक ही परिवार के सदस्य है। वादी सुभाष, प्रतिवादी सं0 1 का पुत्र है व वादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 1 की धर्मपत्नि है तथा प्रतिवादी सं0 2 वादी की सगी बहन है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी का भी जन्म से हक निहित है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद भूमि की बाबत आज से एक वर्ष पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने गांव कणाऊ में आपस में घरेलू मौखिक बंटवारा कर लिया है। वाद भूमि में वादी बहन मंजू ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सम्भला दिया था। वर्तमान में वाद भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है। इसलिए उपर वर्णित वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह के अकेले की बजाय 7/8 हिस्सा में से वादी सुभाष 1/3 हिस्सा, सावित्री 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 को वकील वादीगण ने तर्क किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी सुभाष पुत्र हवासिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 352/85 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2020 प्रदर्श 2, 3 व 4 प्रदर्शित करवाये। वारिस/सदस्य प्रमाण पत्र संलग्न है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का भी जन्म से हक निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण के बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम कणाऊ सम्वत् 2020 प्रदर्श 2, 3 व 4 प्रदर्शित करवाये हैं जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा जीताराम वल्द मुखराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र में हवासिंह के वारिसान में पत्नि सावित्री एक पुत्र सुभाष व एक पुत्री मंजू होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 352/85 के खसरा नं0 133/1 की 1.682 है0, खसरा नं0 134/1 की 0.835 है0, खसरा नं. 551/2 की 3.478 है0 खसरा नं0 591/1 की 2.517 है0 कुल 8.512 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह का 7/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २५-०२-२०२० को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 166/2019

अनवान :

1. सुभाष पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सावित्री पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– **वादीगण**

बनाम

1. हवासिंह पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मंजू पुत्री हवासिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज़ यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र कुमार गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 352/85 के खसरा नं0 133/1 की 1.682 है0, खसरा नं0 134/1 की 0.835 है0, खसरा नं. 551/2 की 3.478 है0 खसरा नं0 591/1 की 2.517 है0 कुल 8.512 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह का 7/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 हवासिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-2-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.25 13:20:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: